(41)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर

P 1168 I-17

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–विदिशा

शम्भू सिंह पुत्र श्री प्रितमसिंह नि.गौव-पवई तह.-बासौदा-विदिशा आवेदक

बनाम

रिंकी बाई w/o स्व. यशवंतसिंह नि.ग्राम-पवई, तह.-बासौदा-विदिशा अनावेदक

... सिंह ... द्वारा आज दि. 12-4-17 को प्रस्तुत
17-4-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसील गंजबासौदा विदिशा के प्रकरण क्रं0–72/अ27/2014–15 रिंकी बाई/शम्भू सिंह अदेश दिनांक 13/02/17 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30/03/17 को प्राप्त हुई।

माननीय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश हैं:–

(1) यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वहाय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किया बिना जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) यहकि, अनावेदिका ने विवादित आराजी से संबंधित सिविल वाद चालू किया था जो कि अनावेदिका ने उस प्रकरण में गंभीरता से ध्यान न देकर व्यवहार न्यायालय ने उक्त वाद निरस्त कर दिया।

(4) यहकि, विवादित आराजी से संबंधित दिनांक 30/12/16 को चंदाबाई के अभिभाषक की ओर से जबाब प्रस्तुत करने हेतु असमर्थता व्यक्त की।

(5) यहकि, दिनांक 13/02/17 को अनावेदिका के अभिभाषक की ओर से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिनकी कॉपी निगरानी कर्ता को नहीं दी गई। उक्त दस्तावेज न देने की स्थिति व सीधे विवादित आराजी के विवाद विन्दु को पटवारी फर्द हेतु ऑर्डर सीट में उल्लेख किया गया। जब तक उक्त दस्तावेजों की नकल दिये बिना उनका परिक्षण किये बिना उनका जबाव दिये बिना सीधे तौर पर फर्द बटवारा हेतु आदेशित नहीं कर सकते इस तथ्य को नजरअंदाज कर किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना हैं कि निगरानी आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1168–एक/2017 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गंजबासौदा जिला विदिशा के प्र0 क्रं0 72/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13–2–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार ने उभय पक्ष अभिभाषकों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि की प्रमाणित खाता पेश होने से उसे संलग्न करने एवं प्रकरण पटवारी फर्द हेतु आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक अभिभाषक का तर्क का प्रश्न है कि उसे प्रमाणित प्रति की छायाप्रति प्रदाय नहीं की गई इसके लिए उन्हें तहसील न्यायालय में विधिवत अपना पक्ष रखकर प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने चाहिए। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	